न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 151/2011 (जीसीएमएस नम्बर 2011/00036)

1. मोहन पुत्र प्रहलाद जाति राजपूत निवासी ढाणी कीतपुरा, तन पाथरेडी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. महावीर सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी एफ 177, गली नम्बर 31, शाद नगर पार्ट द्वितीय, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली हाल आर.जेड. एफ–156, गली नम्बर 19, शाद नगर, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

—रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व न्यायालय तहसीलदार तहसील कोटपूतली, जयपुर प्रकरण संख्या 47/2010, उनवानी महावीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार अन्य

उपस्थित–

1. श्री अशोक उपाध्याय , वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक –05.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 16.06.2011 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह अपील नामान्तरकरण संख्या 957 ग्राम पाथरेडी के निर्णय दिनांक 20.01.2007 विरासत बाबत महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी पाथरेडी से पीडित होकर न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर कोटपूतली में पेश की जिसमें न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर कोटपूतली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3.6.2010 से तहसीलदार कोटपूतली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2007 बाबत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 957 ग्राम पाथरेडी के अपास्त करते हुये प्रकरण न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रभावित पक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2011 द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारका नई दिल्ली के द्वारा दिया गया उत्तराधिकारी के आधार पर तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 20.01.2007 बाबत नामान्तरकरण संख्या 957 ग्राम पाथरेडी अपास्त करते हुये महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह राजपूत, निवासी एफ 177 गली नम्बर 31 शाद नगर पार्ट द्वितीय पालम कॉलोनी, नई दिल्ली, हाल–आर.जेड.एफ. 156 गली नम्बर–19, शाद नगर, पॉलम कॉलोनी, नई दिल्ली के नाम स्वीकार की जाकर निर्णय नोट नामान्तरकरण संख्या 957 ग्राम पाथरेडी तस्दीक दिनांक 20.01.2007 की दोनों प्रतियों पर नियमानुसार लगाये जाने व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश पारित किया गये।

3. तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 13.01.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स मोहन पुत्र प्रहलाद द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर दिनांक 13.01.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी हाल खसरा नंबरान 1738 रकबा 0.44 हैक्टयर, 1739 रकबा 0.28 हैक्टयर, 1740 रकबा 0.64 हैक्टयर, 1741 रकबा 75 हैक्टयर, 1742 रकबा 0.84 हैक्टयर, 1743 रकबा 0. 42 हैक्टयर, 1744 रकबा 0.36 हैक्टयर, 1745 रकबा 0.63 हैक्टयर, 1746 रकबा 0.613 हैक्टयर, कुल किता 09 कुल रकबा 4.99 हैक्टयर, वाके मौजा पाथरेडी, तहसील कोटपुतली, जयपुर में स्थित है । उपरोक्त विवादित खसरा नंबरान के महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे, जिनकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 957, दिनांक 20.01.2007 अपीलार्थी के पक्ष में विधिवत संपूर्ण जॉच कार्यवाही के पश्चात तस्दीक किया गया एवं तत्पश्चात अपीलार्थी विवादित खसरा नंबरान में महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह के हिस्से 1/16 का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है एवं रिकार्डेड काबिज, खातेदार व काश्तकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वर्ष 2010 में उपरोक्त नामान्तकरण के विरूद्व एक मियाद बाहर अपील श्रीमान अति० जिला कलेक्टर महोदय, कोटपुतली के समक्ष पेश कर अपीलार्थी की अवैध तामील करवा कर, एक पक्षीय निर्णय दिनांक 3.06.2010 को पारित करवा लिया कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटपुतली द्वारा नामान्तकरण संख्या 957 दिनांक 20.01.2007 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कोटपुतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी प्रभावित पक्षकारों को सूचित कर, उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पुनः निर्णय पारित किया जावे। जिस पर माननीय तहसीलदार, कोटपुतली ने बिना अपीलार्थी को कोई नोटिस या सूचना दिये हुये, बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व पारित किया जिससे नाखुश होकर निम्न वजुहातों पर अपील सविनय प्रस्तुत है :– अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध व तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अदालत मातहत के श्रीमान को रिमाण्ड आदेश दिनांक 03.06.2010 की अनुपालना के तहत सभी प्रभावित पक्षकारों को नोटिस/सूचना देकर ही विधि सम्मत निर्णय पारित करना था लेकिन अदालत मातहत के श्रीमान ने बिना अपीलार्थी को कोई सूचना दिये हुये, बिना मौके व कब्जे की जॉच किये हुये अपीलार्थी के हक व अधिकारों को खत्म करते हुये प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में कब्जे के अभाव में जो निर्णय पारित किया है, वह निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक शुदा नामान्तकरण संख्या 957 दिनांक 20.01.2007 की मियाद बाहर अपील संख्या 25/2010, श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर, कोटपुतली, जिला जयपुर के समक्ष फर्जी व नुमाईशी वसीयत के आधार पर पेश की जिसपर अपीलार्थी को नोटिस जारी हुये, लेकिन बिना विधिवत तामील के ही नोटिस लौट कर आ गये, जिसे अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, कोटपुतली ने तामील मानते हुये बिना अपीलार्थी को सुने, एक पक्षीय निर्णय तुरत फुरत में पारित कर अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण को निरस्त कर रिमाण्ड करते हुये अदालत मातहत के श्रीमान के समक्ष प्रकरण भेज दिया। उक्त अवैधानिक आदेश की अनुपालना में अदालत मातहत के श्रीमान ने बिना पक्षकार को सूचना/नोटिस दिये हुये अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित कर दिया, जो कि निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलार्थी महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह का सगा भाई है। महेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं की थी एवं महेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह की मृत्यु उपरान्त एक मात्र कानूनन वारिस अपीलार्थी ही था एवं इसी आधार पर तत्कालीन तहसीलदारजी ने संपूर्ण वारिसान की जाँच कर आम सूचना प्रकाशित करवा कर अपीलार्थी के पक्ष में महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह का फोती नामान्तकरण संख्या 957 दिनांक 20.01.2007 तस्दीक किया। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष जो फर्जी व नुमाईशी वसीयत के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आधार पर बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जो अपीलाधीन निणय पारित करवाया है, वह अवैधानिक होने से, निरस्त फरमाये जाने योग्य है। उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 29.05.2011 को तब हुई जब अपीलार्थी अपनी कब्जे शुदा भूमि पर काश्त कर रहा था, तब प्रत्यर्थी संख्या 1 किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ मौके पर आया व अपीलार्थी को धमकाया कि उक्त विवादित खसरा नंबरान का नामान्तकरण मैंने निरस्त करवा दिया है एवं मेरे पक्ष में नामान्तकरण के आदेश पारित करवा लिये है, मैं तुझे जमीन से बेदखल कर दूंगा। अन्यथा दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दूंगा जो तुझे (अपीलार्थी) जबरन भूमि से बेदखल कर देगें, इस पर अपीलार्थी ने तहसील कार्यालय से जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि उक्त नामान्तकरण संख्या 957 अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, कोटपुतली के आदेश से निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 30.05.2011 को अपने वकील से संपर्क कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, कोटपुतली के निर्णय दिनांक 03.06.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर, उसी दिन नकल प्राप्त की एवं उक्त आदेश से जानकारी कर, पुनः तहसील कार्यालय से अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2011 को प्रस्तुत किया व उसी दिन नकल प्राप्त हुई। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटपुतली के समक्ष निर्णित अपील में बिना अपीलार्थी को नोटिस/ सूचना दिये हुय,निर्णय पारित किया है। एवं अदालत मातहत के श्रीमान ने भी बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये ही निर्णय पारित किया है अपीलार्थी को नामान्तकरण संख्या 957 के निरस्त होने की जानकारी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.05.2011 को हुई एवं अपीलाधीन आदेश की जानकारी नकल प्राप्ति की दिनांक 06.06.2011 को हुई इससे पूर्व अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की कतई कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी की दिनांक 29.05.2011 व 06.06.2011 से ली जाकर अपील अन्दर मियाद सविनय प्रस्तुत है। मियाद का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील मंजूर फरमाते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2011 को निरस्त फरमाते हुये अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया हैं। यदि कोई कानूनी त्रुटि रह गई हो उसे दुरूस्त किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

7. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद खातेदार महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी पाथरेडी की विरासत का है। जिन्होनें उपरोक्त अपनी सम्पूर्ण सम्पति को जरिए वसीयत अपने जीवन काल में ही अपने सगे जीजा अपीलान्ट के हक में कर दी थी एवं महेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 09.12.2005 को नई दिल्ली में होने के उपरान्त उसकी समस्त चल अचल सम्पति का उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिल्ली के द्वारा अपने हक में जारी करा लिया। नामान्तरकरण संख्या 957 ग्राम पाथरेडी के निर्णय दिनांक 20.01.2007 विरासत बाबत महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी पाथरेडी से पीडित होकर न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर कोटपूतली में पेश की जिसमें न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर कोटपूतली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3.6.2010 से तहसीलदार कोटपूतली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2007 बाबत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 957 ग्राम पाथरेडी

संभागीय आयुक्त

के अपास्त करते हुये प्रकरण न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रभावित पक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2011 द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारका नई दिल्ली के द्वारा दिया गया उत्तराधिकारी के आधार पर तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 20.01.2007 बाबत नामान्तरकरण संख्या 957 ग्राम पाथरेडी अपास्त करते हुये महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह राजपूत, निवासी एफ 177 गली नम्बर 31 शाद नगर पार्ट द्वितीय पालम कॉलोनी, नई दिल्ली, हाल–आर.जेड.एफ. 156 गली नम्बर–19, शाद नगर, पॉलम कॉलोनी, नई दिल्ली के नाम स्वीकार की जाकर निर्णय नोट नामान्तरकरण संख्या 957 ग्राम पाथरेडी तस्दीक दिनांक 20.01.2007 की दोनों प्रतियों पर नियमानुसार लगाये जाने व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश पारित किया गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट को तहसीलदार, कोटपुतली ने बिना अपीलार्थी को कोई नोटिस या सूचना दिये हुये, बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

अतः–अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर दिनांक 13.01.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

(डॉ.अरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।